

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.20(01)न्याय/2025

जयपुर दिनांक यथा ई—हस्ताक्षरार्थ

—:संशोधित आज्ञा:—

नोटेरी अधिनियम, 1952 एवं नियम, 1956 के नियम 4 के अन्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.06.2026 के द्वारा नोटेरी पब्लिक के कुल 1063 पदों पर आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। जारी अधिसूचना के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण/न्यायालयों अथवा अधिकरणों के पीठासीन अधिकारीगण से यह निवेदन है कि वे उनके मार्फत प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्रों को अपने कार्यालय में दिनांक 17.07.2026 तक ही स्वीकार करें तथा दिनांक 17.07.2026 सांय 5 बजे पश्चात अधिवक्तागण द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं करें। यह भी निवेदन है कि दिनांक 17.07.2026 को सांय 5 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों को आगामी कार्यदिवस पर आवश्यक रूप से इस विभाग में पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दिनांक 24.07.2026 पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(आशीष कुमार कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव